



कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्ता, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी (नैनीताल)



अरण्य भवन, रामपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946-220003 ई.मेल : cfwkum-forest-uk@nic.in.

पत्रांक- ४६ / १२-१

हल्द्वानी, दिनांक, जुलाई, १५,

2022.

रोपा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फौरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:-

मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 310/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास से हल्दूचौड़ इण्डन आयल डीपो तक मार्ग के निर्माण हेतु 12.33 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

संदर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून, 25 सुभाष रोड, देहरादून-248001 का पत्रांक-४८ी/यू०सी०पी०/०६/१०५/२०२०/एफ०सी०/६२६ दि०-०२.०८.२०२१।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून द्वारा आपत्ति लगाई गयी, जिसके क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी द्वारा आपत्ति का निराकरण कर अपनी पत्र संख्या 216/१२-१ दिनांक 11.07.2022 (छाया प्रति संलग्न) के माध्यम से आख्या इस कार्यालय में प्रेषित की गई, जो कि निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	आपत्ति	अनुपालन आख्या
1	The DFO has mentioned that the area proposed for diversion is 'prone to erosion' therefore; the State Government will provide the structures and detailed budgetary provisions in the project to mitigate the erosion in the area.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मार्ग में होने वाले 'prone to erosion' के बचाव हेतु आवश्यकतानुसार प्रस्तावित डी०पी०आर० में Structures and Budgetary provisions कर लिया जायेगा।
2	The State Government may submit the enumeration list of tree counted in the 7 meter width of the proposed alignment.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में पूर्व में प्रस्तावित 09 मीटर के स्थान पर वर्तमान में 07 मीटर चौड़ाई के अन्तर्गत ही पेड़ों की गणना की गयी है, जिस कारण प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 446 है। 09 मीटर के स्थान पर 07 मीटर चौड़ाई में वृक्षों की गणना करने पर 80 वृक्षों की संख्या कम हो गयी है। सूची प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।

क्र.सं.	आपत्ति	अनुपालन आख्या
3	The widening work of NH-84 is going on at present which should solve the problem of traffic congestion on this route. In such a situation, proposing a bypass after felling 562 trees does not seem to be justified. A proper technical justification of the proposed bypass road is required to be provided with facts.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मार्ग घनी आबादी एवं कृषि बाहुल्य क्षेत्र के समीप से गुजरता है, जिसे स्थानीय जनता/कृषकों एवं स्कूली बच्चों द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार विगत 40 वर्षों से कच्चे मार्ग के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। स्थानीय कृषकों एवं स्कूली बच्चों द्वारा (एन०एच-८७) का उपयोग में लाया जाना सम्भव नहीं है, क्योंकि स्कूली छात्रों के बस से उतरने एवं चढ़ने हेतु थोड़े-थोड़े अन्तराल में बसों को रुकना होता है, जो सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त क्षेत्र गौला नदी के समीप स्थित है तथा क्षेत्र में थोड़े-थोड़े अन्तराल में रटोन क्रशर भी हैं। इस क्षेत्र से खनिज उपज लाने एवं ले जाने हेतु प्रतिदिन लगभग 500 से 700 वाहनों का आवागमन होता है। उक्त के दृष्टिगत प्रस्तावित मार्ग आवश्यक है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से राजमार्ग में प्रवेश करने व निकास करने वाले वाहनों की संख्या में भारी कमी आयेगी, जिससे Road Safety बढ़ेगी।


अतः प्रभागीय वनाधिकारी की आख्या मय संलग्नकों के सादर सेवा में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न— उपरोक्तानुसार।

पत्रांक

०६

/ उक्तदिनांकित।

भवदीय,

 (दीप चन्द्र आर्य)

वन संरक्षक
 पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।


 (दीप चन्द्र आर्य)

वन संरक्षक
 पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।





કાયાલિય પ્રભાગીય વનાધિકારી, કશ્મેરી પૂર્વી વગ પ્રભાગ, છલ્દાની

સીનામદાર વન પરિસર, જોલ રોડ, હીરાળગર, છલ્દાની, જિલ્લા નૈનિતાલ
E-mail : dfo@rediffmail.com, Phone: 05946-284309, Fax: 05946-250298

પત્રાંક

216 / 12-1

હલ્દાની, દિનાંક

11/07/2021

સેવા મેં,

વન સરકાર,
પણચમી વૃત્ત,
ઉત્તરાખણ્ડ, હલ્દાની।

વિષય:-

ફેફારી
માટો મુખ્યમંત્રી/સંખ્યા 310/2013 કે અન્તર્ગત જનપદ નૈનિતાલ કે વિધાનસભા ક્ષેત્ર લાલકુઝી કે અન્તર્ગત હલ્દાની બાઈપાસ સે હલ્દૂચૌડ ઇન્ડિન આયલ ડીપો તક માર્ગ કે નિર્માણ હેતુ 12.33 હોવાની ભૂમિ કા ગૈર વાનિકી કાર્યો હેતુ લોક નિર્માણ વિમાગ કો હસ્તાન્તરણ। (Online No. FP/UK/ROAD/29571/2017)

સંદર્ભ:-

ભારત સરકાર, પર્યાવરણ વન એવં જલવાયુ પરિવર્તન મંત્રાલય, એકીકૃત ક્ષેત્રીય કાર્યાલય દેહરાદૂન, 25 સુભાષ રોડ, દેહરાદૂન-248001 કા પત્રાંક-8બી/યૂઓપી0/06/105/2020/એફોસી0/626 દિ0-02.08.2021 એવં ઇસ કાર્યાલય કા પત્રાંક-1406/12-1 દિ0-08.09.2021 એવં પત્રાંક-1474/12-1 દિ0-18.09.2021 એવં પત્રાંક-1490/12-1 દિ0-18.09.2021 તથા પત્રાંક-4579/12-1 દિ0-07.05.2022।

મહોદય,

ભારત સરકાર પર્યાવરણ, વન એવં જલવાયુ પરિવર્તન મંત્રાલય એકીકૃત ક્ષેત્રીય કાર્યાલય, દેહરાદૂન કે ઉક્ત સંદર્ભિત પત્ર દ્વારા લગાયી ગઈ આપત્તિયો કા નિરાકરણ અધિશાસી અભિયન્તા, નિર્માણ ખણ્ડ, લોક નિર્માણ વિમાગ, હલ્દાની કે પત્રાંક-1486/4C દિ0-20.06.2022 (સંલગ્ન) કે દ્વારા બિન્દુવાર આખ્યા નિન્મ પ્રકાર પ્રેષિત કી ગઈ હૈ :

ક.સ્ન.	EDS	આપત્તિ કા નિરાકરણ/આખ્યા
1	The DFO has mentioned that the area proposed for diversion is 'prone to erosion' therefore; the State Government will provide the structures and detailed budgetary provisions in the project to mitigate the erosion in the area.	પ્રયોક્તા અભિકરણ દ્વારા ઉપરોક્ત પત્ર કે દ્વારા અવગત કરાયા હૈ કી પ્રસ્તાવિત માર્ગ મેં હોને વાલે 'prone to erosion' કે બચાવ હેતુ આવશ્યકતાનુસાર પ્રસ્તાવિત ડીઓપી0આર૦ મેં Structures and Budgetary provisions કર લિયા જાયેગા।
2	The State Government may submit the enumeration list of tree counted in the 7 meter width of the proposed alignment.	પ્રયોક્તા અભિકરણ દ્વારા અવગત કરાયા હૈ કી ભારત સરકાર દ્વારા દિયે ગયે નિર્દેશો કે અનુપાલન મેં પૂર્વ મેં પ્રસ્તાવિત 09 મીટર કે સ્થાન પર વર્તમાન મેં 07 મીટર ચૌડાઈ કે અન્તર્ગત હી પેડ્ઝોની કી ગણના કી ગયી હૈ, જિસ કારણ પ્રભાવિત હોને વાલે વૃક્ષોની સંખ્યા 446 હૈ। 09 મીટર કે સ્થાન પર 07 મીટર ચૌડાઈ મેં વૃક્ષોની ગણના કરને પર 80 વૃક્ષોની સંખ્યા કમ હો ગયી હૈ (સૂચી સંલગ્ન)।
3	The widening work of NH-84 is going on at present which should solve the problem of traffic congestion on this route. In such a situation, proposing a bypass after felling 562 trees does not seem to be justified. A proper technical justification of the proposed bypass road is required to be provided with facts.	પ્રયોક્તા અભિકરણ દ્વારા અવગત કરાયા હૈ કી પ્રસ્તાવિત માર્ગ ઘની આબાદી એવં કૃષિ બાહુલ્ય ક્ષેત્ર કે સમીપ સે ગુજરતા હૈ, જિસે સ્થાનીય જનતા/કૃષકો એવં સ્કૂલી બચ્ચો દ્વારા અપની આવશ્યકતાનુસાર વિગત 40 વર્ષોની કાર્યક્રમી માર્ગ કે રૂપ મેં ઉપયોગ મેં લાયા જા રહા હૈ। સ્થાનીય કૃષકો એવં સ્કૂલી બચ્ચો દ્વારા (એનોએચ-87) કા ઉપયોગ મેં લાયા જાના સમ્ભવ નહીં હૈ, કયાંકિ સ્કૂલી છાત્રોની બસ સે ઉત્તરને એવં ચઢને હેતુ થોડે-થોડે અન્તરાલ મેં બસોની રૂકના હોતા હૈ,

		जो सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त क्षेत्र गौला नदी के समीप स्थित है तथा क्षेत्र में थोड़े-थोड़े अन्तराल में स्टोन क्रशर भी हैं। इस क्षेत्र से खनिज उपज लाने एवं ले जाने हेतु प्रतिदिन लगभग 500 से 700 वाहनों का आवागमन होता है। उक्त के दृष्टिगत प्रस्तावित मार्ग आवश्यक है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से राजमार्ग में प्रवेश करने व निकास करने वाले वाहनों की संख्या में भारी कमी आयेगी, जिससे Road Safety बढ़ेगी।
--	--	---

अतः उपरोक्तानुसार बिन्दुवार आख्या एवं संलग्नक सहित इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीप

(संदीप कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी

तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

पत्रांक—216 /12-1/ उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि— अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(संदीप कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी

तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

पत्रांक—216 /12-1/ उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि— अधिकारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी को उनके पत्रांक—1486 /4C दि०—20.06.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(संदीप कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी

तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी



पत्रांक 1406 AC
सेवा में,

दिनांक 20/06/2022

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग,
हल्द्वानी।

विषय :- मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 310/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विधानसभा क्षेत्र लालकुआं के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास मार्ग से हल्दूचौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक मार्ग के निर्माण हेतु 12.33 हेठो वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण (Online No FP/UK/ROAD/29571/2017)।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 4779/29-3(3), दिनांक 07.05.022

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में आरोहीरी ० की बैठक दिनांक 21.09.2022 को जारी किये गये Minutes का निम्नानुसार बिन्दुसार उत्तर प्रेषित किया जा रहा है :-

<p>1 The DFO has mentioned that the area proposed for diversion is 'prone to erosion' therefore, the state Government will provide the structures and detailed budgetary provisions in the project to mitigate the erosion in the area.</p>	<p>प्रस्तावित मार्ग में होने वाले 'Prone to erosion' के बचाव हेतु आवश्यकतानुसार प्रस्तावित डी०पी०आ० में Structures एवं Budgetary provisions करं लिया जायेगा।</p>
<p>2 The State Government may submit the enumeration list of tree counted in the 7 meter width of the proposed alignment.</p>	<p>भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में पूर्व में प्रस्तावित 9 मीटर के स्थान पर वर्तमान में 7 मीटर चौड़ाई के अन्तर्गत ही पेड़ों की गणना की गयी है। जिस कारण प्रभावित होने वाले वृक्षों की सं० 446 है। 9 मीटर के स्थान पर 7 मीटर चौड़ाई में वृक्षों की गणना करने पर 80 वृक्षों की संख्या कम हो गयी है (सूची संलग्न)।</p>
<p>3 The Widening work of NH-84 is going on at preset which should solve the problem of traffic congestion on this route. In such a situation, proposing a bypass after felling 562 trees does not seem to be justified. A proper technical justification of the proposed bypass road is required to be provided with facts.</p>	<p>प्रस्तावित मार्ग घनी आबादी एवं कृषि बाहुल्य क्षेत्र के समीप से गुजरता है, जिसे स्थानीय जनता/कृषकों एवं स्कूली बच्चों द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार विगत 40 वर्षों से कच्चे मार्ग के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। स्थानीय कृषकों एवं स्कूली बच्चों द्वारा (एन०एच०-८७) का उपयोग में लाया जाना सम्भव नहीं है। क्योंकि स्कूली छात्रों को बस से उतरने एंवं चढ़ने हेतु थोड़े-थोड़े अन्तराल में बसों को रुकना होता है, जो सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से राजमार्ग में व्यवहारिक नहीं होगा तथा कृषकों द्वारा अपनी कृषि उपज मण्डी में लाने हेतु बैलगाड़ी/घोड़ा बुगी/रिक्शा आदि का उपयोग किया जाता है। उक्त वाहनों द्वारा राजमार्ग से कृषि उपज लेकर जाना सुरक्षा की दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त क्षेत्र गौला नदी के समीप स्थित है तथा क्षेत्र में थोड़े-थोड़े अन्तराल में स्टोनक्रेशर भी है। इस क्षेत्र से खनिज उपज लाने एंवं ले जाने हेतु प्रतिदिन लगभग 500 से 700 वाहनों का आवागमन होता है। उक्त के दृष्टिगत प्रस्तावित गार्ग आवश्यक है। उक्त गोटर गार्ग के निर्माण से राजमार्ग में प्रवेश करने व निकास करने वाले वाहनों की संख्या में भारी कमी आयेगी, जिससे Road Safety बढ़ेगी।</p>

कार्यालय तराई पूर्वी वन प्रभाग

हल्द्वानी-

प्र.प्ति सं० 10913.....

पंजी० स० 121.....

दिनांक 20/06/2022

20/6/22

अतः प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

Alm 20/6/22

(अशोक कुमार)

अधिकारी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि�०वि०, हल्द्वानी

परियोजना का नाम:- मार्ग मुख्यमंत्री की घोषणा सं0 310/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुआ के पांच हल्द्वानी बाईपास मार्ग से हल्दूचौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक मार्ग निर्माण हेतु 12.33 है 0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्य कु लौक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण (On line No FP/UK/ROAD/2951/2017)।

नारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय श्रेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/105/2020 /एफ0सी0/626, दिनांक 02.08.2021 के द्वारा बिन्दु सं0 3 में परियोजना स्थल पर वर्तमान में स्थित प्रवाहित होने वाले वृक्षों की गणना 7 मीटर में किये जाने के सम्बन्धी अनुपालन आख्या :-

वृक्षों की सूची (प्रवाहित होने वाले)

क्र0 सं0	वृक्ष की प्रजाति	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70 से ऊपर	योग
1	कन्धू	09	09	12	23	08	02	02	04	69
2	नीम		05	09	07					21
3	सागौन	08	06	26	26	02		01		69
4	कचनार			01						1
5	पेपर मलवरी		07	10	09	01	01		01	29
6	सेमल			01	09	06	16		15	47
7	बकैन			04						4
8	कटहल			01	01					2
9	शीशम	15	15	32	25	03	03		01	94
10	आम		05	06						11
11	शहतूत		03		02					5
12	जामुन			01						1
13	बेर			01						1
14	हल्दू				02		03		02	7
15	बेल		11							11
16	खैर	01		03						4
17	अमलतास	03			01					4
18	कोकाट	25	05		04	01				35
19	धौड़ी			01						1
20	तिमल			01						1
	योग	61	66	109	109	21	25	3	23	417

क्र० सं	वृक्ष की प्रजाति	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45 से ऊपर	योग
1	यूकेलिप्टस	12	09	0	0	0	0	02	0	02	04	29
	योग	12	09	0	0	0	0	02	0	02	04	29

महायोग 417 + 29 = 446

~~प्रारंभ कार्य~~

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्दानी.

८५ प्रभागीय वनाधिकारी
(गौला)
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्दानी

वन क्षेत्राधिकारी
गौला वन क्षेत्र
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्दानी